

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : Sir, Mr. Niren Ghosh raised a very relevant point. Is the Minister prepared to give an assurance that the Government will find time during the current session . . .

(Interruptions)

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् जरा वस्तुस्थिति की गम्भीरता को हृदयंगम करें (*Interruption*) सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं इस सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और मुझे पता है ऐसे आनन-फानन में इसकी बैठक बुलाई गई थी—और 1 बजे रात तक—कि हमको उसमें भाग लेने की फुर्सत ही नहीं मिली।

श्री उपसभापति : देखिए, इसके बारे में लन्च के बाद सोचना होगा।

श्री राजनारायण : नहीं, नहीं। अभी आप सुनिए तो . . .

श्री उपसभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री राजनारायण : नहीं, ऐसे हम नहीं बैठेंगे, आप पहले सुनिए।

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, have you disposed of that matter?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta, as you have suggested and as a number of Members have suggested, we will consider this question after lunch. Now, Mr. Rohanlal Chaturvedi.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS FOR 1970-71

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ROHANLAL CHATURVEDI) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government on Railways for the year 1970-71.

REPORTS OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI SUKHDEV PRASAD (Uttar Pradesh) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :—

(i) Ninth Report (in English and Hindi) on the Ministry of Tourism and Civil Aviation—Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Air India.

(ii) Tenth Report (in English and Hindi) on the Ministry of Tourism and Civil Aviation—Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Indian Airlines.

PETITION SIGNED BY SHRI M. I. K. MUTHALALY, GENERAL SECRETARY OF THE FEDERATION OF MEDICAL REPRESENTATIVES ASSOCIATION OF INDIA, DELHI AND TWO OTHERS

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : Sir, I present a petition signed by Shri M. I. K. Muthalaly, General Secretary of the Federation of Medical Representatives Association of India, Delhi and two others.

REFERENCE TO A CLARIFICATION MADE ON THE 30TH NOVEMBER, 1970 BY THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आप 2 मिनट में आपको जो रेफरेन्स करना है कर दीजिए . . .

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : नहीं, नहीं, 2 मिनट में नहीं।

श्री उपसभापति : आपका सिर्फ रेफरेन्स तो है।

श्री राजनारायण : नहीं, 2 मिनट नहीं लगेगा। हमें बहुत सारा पढ़ना भी है।

श्री उपसभापति : नहीं थोड़ा रेफरेन्स अभी दे दीजिए।

SHRI N. R. MUNISWAMY (Tamil Nadu) : We can take it up after lunch.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : It is already past two.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : No reference can be made after lunch.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir you said that the whole thing will come up after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta, Mr. Rajnarain is not referring to the points raised by you. He has been given permission for another reference.

श्री राजनारायण : अब तो हम आफ्टर लन्च लेंगे क्योंकि हम चेयर को यह आवश्यकता प्रदान करना नहीं चाहते कि वह अपनी व्यवस्था को क्षण क्षण में बदले। आपने खुद कहा, आफ्टर लंच।

श्री उपसभापति : आफ्टर लंच आपके बारे में नहीं कहा।

श्री राजनारायण : देखिए, थोड़ी उंगली दबे तो उसमें आपका घबराना नहीं चाहिए। श्रीमन्, आपने हमको कहा—पहली बार चेयर ने आशु प्रदान की थी कि आफ्टर लन्च।

श्री उपसभापति : उसके बारे में नहीं कहा था। जो पिछला सवाल पड़ा था, पटल में रखने के बारे में, उसके लिए कहा था...

श्री राजनारायण : ठीक है, आप बैठना चाहें तो आधा घंटा बैठिए।

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : He will take one hour.

SHRI OM MEHTA : How can he take one hour?

SHRI RAJNARAIN : Who are you?

SHRI OM MEHTA : No question of "Who are you?"

श्री राजनारायण : हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमको रोक नहीं पाएंगे। मैं आध घंटे से कम नहीं लूंगा। मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूँ। आप जो यह हमको डिकटे कर रहे हैं 2 मिनट ले लीजिए, यह नहीं होगा।

श्री उपसभापति : तो रेफरेंस के लिए कितना समय चाहिए?

श्री राजनारायण : जितना समय सब लेते हैं।

श्री उपसभापति : रेफरेंस दो, तीन मिनट में होता है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमेशा नहीं होता है। हम जानते हैं।

श्री उपसभापति : हमेशा होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में होता है। एट द मोस्ट ए मेम्बर टैंक्स फाइव मिनट्स।

श्री राजनारायण : देखिए, आप 10 मिनट और बोलिए। हो जाएगा। मुझे तो पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। मैं यह देख रहा हूँ कि सदन की कार्यवाही नियमित रूप से आजकल अध्यक्ष वगैरह नहीं चलने दे रहे हैं। हमने 26-11-70 को श्री गुजराल के ऊपर एक आरोप लगाया था। मैं जब यहां पर 30 तारीख को नहीं था तो श्री गुजराल ने एक स्पष्टीकरण दिया। मैं हैरत में पड़ता हूँ कि किसी भी सभ्य और संसदीय प्रथा में जब कि मैं उपस्थित न हूँ तो क्या श्री गुजराल के लिए यह उचित था कि इस तरह का स्पष्टीकरण मेरी अनुपस्थिति में करें। उन्हें मुझे आ जाने चाहिये था और मेरी उपस्थिति में जो कुछ कहना चाहते थे कहते।

आज भी मैं कहना चाहता हूँ, चेयर से कहना चाहता हूँ कि मैं श्री गुजराल की स्पष्टीकरण के संबंध में कहना चाहता हूँ। आप गुजराल को बुला लीजिये क्योंकि मैं आड़े में तीर नहीं

[श्री राजनारायण]

मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री गुजराल यहां उपस्थित रहें और उनकी काली करतूतों के संबंध में माननीय सदन के सम्मानित सदस्य सुनें। जब मैं उस दिन बोल रहा था तो थोड़े समय के लिए उपस्थित रहे और थोड़ी देर बाद मटकते हुए चले गये। उनको इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि वे हमारे भाषण को सुनते और उसका जवाब उसी समय दे देते। जब तीन चार दिन बीत गये और इधर उधर सोच समझ कर उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में एक वक्तव्य दे दिया जब कि मैं यहां पर नहीं था।

मैंने उस दिन अपने भाषण में जो कुछ कहा था मैं उस को आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण : जो कुछ हमने उस दिन कहा था उसको हम फिर से सदन के सम्मानित सदस्यों को बतलाना चाहते हैं।

श्री उपसभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण : सालवन साहब से कल मेरी बात हुई। सालवन साहब ने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा। मैंने पूछा कि अगर कहीं और पूछा जाय तो इस बात को कहोगे या नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कहीं जगह कह चुका हूँ और हर जगह कहूंगा। गुजराल साहब ने उनको बुलाकर कहा कि महेंद्र सिंह को तुम अपने यहां का प्रिंसिपल बनाओ और हमने उनको प्रिंसिपल नहीं बनाया। हमने दूसरे को प्रिंसिपल बनाया और इसलिए आज गुजराल साहब उस कालेज के पीछे पड़े हुए हैं। चूंकि उनके कृपा पात्रको उस कालेज में रखा गया इसलिए आज गुजराल साहब की भृकुटि उस कालेज पर तनी हुई है। मैंने उस दिन यह मसला भी उठाया था कि प्रोफेसर जावेद ने एक हिन्दू लड़की के साथ शादी कर ली है इसलिए उसको नौकरी

से हटा दिया गया है। मैं इस हक में हूँ और बराबर मांग करता हूँ कि जावेद को उसी कालेज में रखवाया जाय। जावेद के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उसने एक अन्तर सम्प्रदाय जाति वाले के साथ शादी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की शादी करने के एवज में उसको निकाला जाना नहीं चाहिये। जहां तक किसी प्रौढ़ के शादी करने के हक का संबंध है चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दू प्रौढ़ हो, हर एक को एक दूसरी जाति के साथ शादी करने का हक होना चाहिये और इसमें किसी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : अब तो महिला महिलाओं के साथ शादी करने लगी है।

श्री राजनारायण : मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ इस सरकार से जो अपने को सेक्यूलर सरकार कहती है कि श्री जावेद को शादी करने के अपराध में क्यों निकाला गया है और अब तक उसको कालेज में इस इन्दिरा की नालायक सरकार, निकम्मी सरकार ने क्यों नहीं रखवाया। केवल गुजराल अपना प्रचार करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज भी इस मामले को विशेषाधिकार समिति में ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने मांग की थी कि ये दोनों मसले जो हैं उनके संबंध में जांच होनी चाहिये। सलवान के ऊपर गुजराल ने दबाव डाला कि तुम फलां फलां आदमी को प्रिंसिपल बनाओ, यह हमारी जानकारी है, लेकिन उसको नहीं रखा गया। विश्वविद्यालय के जो वाइस चान्सलर हैं उन्होंने सलवान कालेज को इस बात की मांग्यता दे दी है जिस व्यक्ति के बारे में श्री गुजराल कह रहे हैं उसमें प्रिंसिपल पद पाने की योग्यता नहीं थी। गुजराल साहब क्या कहते हैं—

“With your permission, Sir, I have noticed that in the Rajya Sabha proceedings of the 26th of this month, the hon. Member, Shri Rajnarain, while speaking on the University Grants Commission Report debate mentioned that I got pressurised Shri Salwan of Salwan College, Delhi,

about the appointment of Principal. I would like to submit that his information is untrue".

मैं कहना चाहता हूँ कि गुजराल साहब ने जो सदन को सूचित किया उससे उन्होंने सदन को गुमराह किया। मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह देखा जाय कि गुजराल सही हैं यहाँ मैं सही हूँ। मैं अपने को कमजोर स्थिति में नहीं रखना चाहता। अगर मेनेजमेंट की ओर से मुझे गलत सूचना दी गई तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा मिले क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था हमको गलत सूचना दे या गलत सूचना देकर हमारा दिमाग खराब करे। अगर सलवान साहब ने गुजराल के बारे में गलत सूचना दी है तो मैं अपने को कमजोर मानता हूँ। सलवान साहब को यह नहीं मानना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ। सलवान ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल सच्ची है, सही है कि गुजराल ने उनको बुलाया और कहा कि महेन्द्र सिंह को प्रेसिपल के पद पर रख लो। गुजराल साहब की ओर से यह काम अनुचित है। इसलिए अगर इस सदन में तनिक भी सम्मान हो तो गुजराल से कहें कि तुम्हें सरकार में इस पद पर रहने की क्षमता नहीं है अगर तुम इस तरह से किसी व्यक्ति को, कालेज के मॅनेजर को, प्रेसिडेंट को बुलाकर कहो कि महेन्द्र सिंह को रख दो। भूपेश गुप्त से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने भाइयों, कम्युनिस्टों को कहाँ-कहाँ रखवाने के लिए प्रयत्नशील हो? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि महेन्द्र सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने सदस्य थे। अब ये चाहते हैं कि सलवान कालेज में इन्हें भेजकर वहाँ कम्युनिस्टी प्रथा को चलवाने का प्रयत्न किया जाय। मैं चैलेंज करता हूँ कि गुजराल ने इस सदन को गुमराह किया है, साजिश की है और इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय ताकि विशेषाधिकार-अवहेलन समिति जांच करे कि क्या सत्य है . . . (Interruption)

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of personal explanation. I can tell you that All India Radio is suppressing all news about workers. The other day when we discussed the taxation Bill . . .

श्री राजनारायण : देखिए, क्या ये संसदीय काम कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ और ये खड़े हो गए।

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, 'Today in Parliament' on . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down.

श्री राजनारायण : आप व्यवस्था दीजिए कि आप इसको विशेषाधिकार समिति में भेजेंगे।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी ने एक बात कही थी, गुजराल साहब ने एक बात कही, दोनों में तथ्य के बारे में कुछ मतभेद हो सकता है, आपको भी प्रोसीजर मालूम है, आप उसके बारे में मोशन दे सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 3 P. M.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at three of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) in the Chair.

REFERENCE TO SITUATION IN WEST BENGAL

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं श्री के० सी० पन्त जी की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना अधिनियम, 1970 राष्ट्रपति का 1970 का अधिनियम संख्या (20) की एक प्रति जो (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखी गयी है, उसी के संबंध में हमारे सम्माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात का इजहार किया था और उसी पर मैं खड़ा हुआ था जब कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी। मेरा निवेदन श्रीमन्, इस में यह है कि पश्चिमी बंगाल में इस समय बिल्कुल अमम्य अवस्था है। मैं चाहता